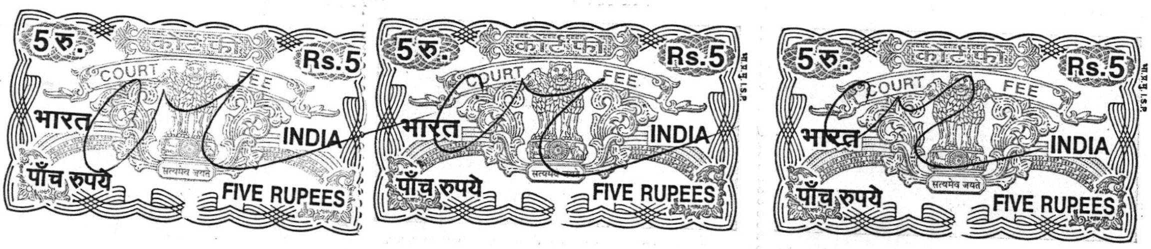

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2011 अपील   A-119-PBR/2011

श्रीमती रनवीर कौर पत्नी हरपाल सिंह
निवासी 8 खेड़ापती कॉलोनी ग्वालियर म.प्र.
---- अपीलान्ट

श्री एस.पी. धाकड़, अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 28-1-11 को प्रस्तुत
28-1-11

बनाम

1. यूको बैंक शाखा पुराना हाई कोर्ट लश्कर ग्वालियर
2. नायब तहसीलदार तहसील ग्वालियर म.प्र.

---- रेस्पोंडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायलय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. के प्र.क. 25/09-10/विविध में पारित आदेश दिनांक 30-06-2010 के विरुद्ध अपील जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक A 119–PBR/11 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–7–2015	अपीलार्थी की ओर से श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक उपस्थित । प्रत्यर्थी कमांक 1 की ओर से श्री अजीत सुडेले, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी कमांक 2 शासन की ओर से श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि जिस तहसीलदार से प्रकरण स्थानान्तरण के सम्बंध में अपर आयुक्त को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका स्थानान्तरण हो चुका है । अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	